राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2)ग्राविवि/आईएवाई/जिला/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दिनांक 29 सितम्बर, 2015

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
राजस्थान।

विषय :– आवास योजनाओं की किस्त जारी करने व पंजीकरण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के स्तर से बार–बार निर्देश/मार्गदर्शन व समीक्षा के बावजूद भी आवासीय योजनाओं की प्रगति में कमी रही है।

दिनांक 29.09.2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिग में आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान ध्यान मे आया कि जिलों को योजना के अन्तर्गत देय किश्तों के क्रम में नवीनतम आदेश की जानकारी नही है। अतः आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस क्रम में जारी आदेश 28.05.15 की प्रति संग्लन कर लेख है कि प्लिन्थ स्तर (दा.मा. तक) तक कार्य पूर्ण होने पर इकाई अनुदान का 60 प्रतिशत व स्वच्छ शौचालय सहित छत निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इकाई अनुदान का 15 प्रतिशत राशि का भुगतान लाभार्थी को दिया जाना सुनिश्चित करावें।

इसी प्रकार वर्ष 2015–16 के नवीन पंजीकरण के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि बी.पी.एल सूची 2002 में अपील के माध्यम से जुडे लाभार्थी को यदि वह अन्य पात्रता रखता हो तो वर्ष 2015–16 के लिए पंजीयन कर वरियता में अन्तिम स्थान पर जोड कर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

29/9/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव पंरावि।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. प्रोग्रामर ग्रा.वि.वि को विभागीय वेव साइट पर नवीनतम दिशा निर्देश के अधीन अपलोड करने हेतु।

29/9/15
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः– एफ 27(2)/ग्रावि/इ.आ./जी.ओ.आई./ग्रुप–5/2014–15 जयपुर, 28 मई 2015

आदेश

राज्य में केन्द्र प्रवर्तित इन्दिरा आवास योजना गत् कई वर्षो से क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजना में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत आवासों के अनुदान सहायता जारी करने की व्यवस्था निम्नानुसार थी :–

क्र. सं.	**किश्त संख्या**	**निर्माण का स्तर**	**राशि प्रतिशत में**
1.	प्रथम	स्वीकृति के साथ	इकाई लागत का 50 प्रतिशत
2.	द्वितीय	लिन्टल लेवल तक आवास निर्माण करने के उपरान्त	इकाई लागत का 40 प्रतिशत
3.	तृतीय	छत डालने एवं शौचालय आदि के निर्माण पश्चात्	इकाई लागत का 10 प्रतिशत

– वर्ष 2014–15 में स्वीकृत आवासों के अनुदान सहायता जारी करने की व्यवस्था निम्नानुसार थी :–

क्र. सं.	**किश्त संख्या**	**निर्माण का स्तर**	**राशि प्रतिशत में**
1.	प्रथम	स्वीकृति के साथ ।	इकाई लागत का 25 प्रतिशत
2.	द्वितीय	लिन्टल स्तर पर ।	इकाई लागत का 60 प्रतिशत
3.	तृतीय	स्वच्छ शौचालय सहित मकान का निर्माण पूरा कर लेने और लाभार्थी के उसमें रहना शुरू करने के बाद ।	इकाई लागत का 15 प्रतिशत

अब, वित्तीय वर्ष 2015–16 से राज्य मद से वित्त–पोषित "अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना" भी प्रारम्भ की गयी है । लाभार्थियों द्वारा समय पर आवास निर्माण नहीं करा पाने में आ रही वित्तीय कठिनाईयों को कम करने एवं योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करने एवं समयबद्ध लाभ पहुचाने के दृष्टिगत पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित कर तत्काल प्रभाव से इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना (सभी आवास योजनाएं) के तहत् वर्ष 2015–16 में निर्माणाधीन व स्वीकृत होने वाले आवासों हेतु देय अनुदान की निम्नानुसार भुगतान प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं.	**किश्त संख्या**	**निर्माण का स्तर**	**राशि प्रतिशत में**
1.	प्रथम	स्वीकृति के साथ ।	इकाई लागत का 25 प्रतिशत
2.	द्वितीय	पलीन्थ (कुर्सी/दासा) स्तर तक पूर्ण होने पर ।	इकाई लागत का 60 प्रतिशत
3.	तृतीय	स्वच्छ शौचालय सहित छत निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ।	इकाई लागत का 15 प्रतिशत

इस सम्बन्ध में आवास सॉफ्ट में आवश्यक संशोधन कर दिये गये है । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(के.के. शर्मा)
अधीशाषी अभियन्ता, ग्रा.वि.

letter.docx